(२)

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्याः– 261/2013 (जीसीएमएस नं. 2013/00002)

श्याम लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री घासीराम शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरमाड़ा, गोपाल जी के मन्दिर के पास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2013 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि यह कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर को आबादी में परिवर्तन हेतु ग्राम पंचायत हरमाड़ा का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी आमेर ने उक्त खसरा नम्बर 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा को आबादी में परिवर्तन करने के आदेश दिनांक 09–06–1973 का पारित किये तत्पचात् उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन कर ग्राम पंचायत के हक में नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 09–06–1973 तस्दीक होकर जमाबन्दी में नोट अंकित किया गया परन्तु मौके पर उक्त खसरा नम्बर 2 में कोई आबादी नहीं थी। उक्त खसरा नम्बर 2 के सम्पूर्ण रकबे में 4 बीघा 10 बिस्वा में गैर मुमकिन सडक जो वर्तमान में नेशनल हाईवे नम्बर 11 है जो राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा आज भी मौके पर सड़क के काम आ रही है जो सड़क सन् 1972 से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के काम आ रही है। अपीलान्ट/ प्रार्थी व चौथमल शर्मा तथा प्रेमचन्द कुमावत जिस आबादी भूमि पर काबिज हैं तथा जिस पर आबादी बसी हुयी है वह पटवारी हल्का के नक्शे में खसरा नम्बर 1/575 पेन्सील से तथा भू–प्रबंध विभाग के नक्शे ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर 1/575 में आबादी दर्ज व अंकित है, ग्राम हरमाड़ा की पुलिस चौकी के उत्तर की ओर पटवार हल्का के नक्शे में जो रक़बा था उसमें कोई पृथक से खसरा नम्बर डाला हुआ नहीं था इस कारण खसरा नम्बर 1/575 के रकबे को खसरा नम्बर 2 का ही भाग माना जाता रहा था जबकि भू–प्रबंध विभाग के नक्शे में व जमाबन्दी में मौके पर खसरा नम्बर 1/575 दर्ज व अंकित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार आमेर की पत्रावली संख्या 15/89 दिनांक 30–08–1990 में उक्त खसरा नम्बर 1/575 मौके पर दुरस्ती हेतु निवेदन किया लेकिन आबादी का प्रस्ताव खसरा नम्बर 2 का होने के

P.T.O.

कारण उसी का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दुरस्ती नहीं की गई तथा दूरूस्ती इन्द्राज का मामला नहीं माना, उसके पश्चात् चौथमल शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा ने खसरा नम्बर 2 के स्थान पर खसरा नम्बर 1/575 गैर मुमकिन आबादी दर्ज कराने एवं रिकार्ड को दुरूस्ती करने हेतु प्रमुख शासन सचिवालय राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर में एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, कलेक्टर जयपुर विजिलेन्स ने उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर को प्रेषित किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने पटवारी हल्का से मौका रिर्पोट दिनांक 25–11–1995 को प्राप्त की जिस रिर्पोट में अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 के अनुसार खसरा नम्बर 1/575 का रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन पहाड़ दर्ज है जबकि नक्शे में पेन्सिल से खसरा नम्बर 1/575 लिखा है। तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की तरमीम लाल स्याही से दिनांक 21/09/1989 को आई0 एल0 आर0 द्वारा की गई तथा पटवारी रिर्पोट में यह भी बताया कि उक्त खसरा नम्बर 1/575 का रकबा मौके पर 9 बीघा 10 बिस्वा ही है जिसमें 2 बीघा 5 बिस्वा में मकानात व दुकानात बनी हुई है तथा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग में चली गयी तथा शेष रकबा 4 बीघा भूमि मौके पर खाली पड़ी होना बताया इससे स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 1/575 में ही आबादी विकसित है तथा आबादी बसी हुई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 09–06–1973 खसरा नम्बर 2 मीन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि को आबादी में परिर्वतन किया है लेकिन उक्त खसरा नम्बर सहवन से 1/575 की बजाय खसरा नम्बर 2 दर्ज हो गया, न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी एवं भू–अभिलेख अधिकारी आमेर मुख्यालय सीकर ने भू मापक व निरीक्षक की रिर्पोट व राजस्व अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर दिनांक 27–07–1996 को ग्राम हरमाड़ा तहसील आमेर के नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 09–06–1973 के कालम नम्बर 12 में खसरा नम्बर 2 मिन रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आबादी की जगह गत खसरा नम्बर 1/575 जिसके हाल खसरा नम्बर 10 बने है पर आबादी की अमल करने का आदेश दिया तथा उसी अनुसार पर्चा खतौनी जारी की गई, उपरोक्त वाक्यात के सम्बंध में अपीलान्ट/प्रार्थी ने दिनांक 10–04–2007 को जिला कलेक्टर जयपुर को एक और दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी आमेर को उचित कार्यवाही हेतु मूल प्रार्थना पत्र प्रेषित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया, उपखण्ड अधिकारी आमेर ने तहसीलदार आमेर को प्रतिप्रेशित कर कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये उसके बाद तहसीलदार ने पटवारी हल्का हरमाडा से रिर्पोट चाही उस रिर्पोट में पटवारी हल्का ने उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 9 रकबा 0.89 हैक्टयर किस्म गैर मुनकिन पहाड़ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 10 रकबा 0.32 हैक्टयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड़ राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिवायचक (भूमि जो जुताई के लिए अनुपलब्ध है) दर्ज है, हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 0.89 हैक्टयर खसरा नम्बर 10 रकबा 0.32 हैक्टयर सम्पूर्ण में आबादी बसी हुई है, खसरा नम्बर 10 से उत्तर दिशा में लगती हुई खसरा नम्बर 9 की सीमा में भी आबादी बसी हुई है, साबिक खसरा नम्बर 1/575 मिन में पुलिस थाने की ओर

P.T.O.

से उत्तर दिशा में लगती हुई चौथमल शर्मा का 240 गज 80 फिट उसके पश्चात् 40 फीट चौडा आम रास्ता उसके बाद प्रेमचन्द कुमावत की 90 गज 90 फीट एवं उसके पश्चात् अपीलान्ट/प्रार्थी श्यामलाल शर्मा की 60 गज 120 फीट की आबादी भूमि पूर्व सन् 1972 से थी जिसका नामान्तरण संख्या 201 आबादी परिवर्तन का दर्ज हुआ किन्तु 40 फीट चौडा आम रास्ते को आबादी भूमि में शुमार कर देने एवं खसरा नम्बर 10 की पूर्व–पश्चिम चौडाई अधिक कर देने से अपीलान्ट/प्रार्थी की भूमि आबादी में परिवर्तित होने से रह गई। खसरा नम्बर 1/575 में परिवर्तित आबादी भूमि रास्ते की आबादी में दर्ज कर देने से अपीलान्ट/प्रार्थी की आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित होने से रह गयी है।

उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1/575 के हाल भू--प्रबंध विभाग ने खसरा नम्बर 7 रकबा 0.51 हैक्टयर खसरा नम्बर 8 रकबा 1.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.39 हैक्टयर व खसरा नम्बर 10 रकबा 0.32 हैक्टयर बनाये गये, मौके पर खसरा नम्बर 10 रकबा 0.32 हैक्ट0 सम्पूर्ण में आबादी बसी हुयी है तथा उत्तर दिशा में लगती हुई खसरा नम्बर 9 की सीमा में भी आबादी बसी हुयी है परन्तु हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 0.07 हैक्टयर व खसरा नम्बर 10 में 0.25 हैक्टयर भूमि नक्शा ट्रैस में मौके अनुसार आबादी दर्ज होनी चाहिए परन्तु भू--प्रबंध विभाग ने सम्पूर्ण खसरा नम्बर 10 रकबा 0.32 हैक्टयर को आबादी दर्ज व अंकित कर दिया इस बाबत तहसीलदार आमेर ने तथ्यात्मक रिर्पोट प्रेषित कर निर्देश दिये है कि सेटलमेन्ट द्वारा की गई भूल के सुधार हेतु अपीलान्ट/प्रार्थी समक्ष न्यायालय में वाद दायर करें। इसलिए अपीलान्ट/प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 02/2008 अधीन धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 89 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के स्थान पर 0.07 हैक्ट0 आबादी तथा खसरा नम्बर 10 रकबा गैर मुमकिन आबादी में मौके अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करने का निवेदन किया था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही में तहसीलदार आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 05–09–1970 के द्वारा चौथमल को एवं दिनांक 02–07–1974 के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी श्याम लाल को तथा फैसला दिनांक 07–12–1974 के द्वारा प्रेमचन्द को अतिक्रमी नहीं मानकर जागीरदार के समय से पट्टा शुदा भूमि पर काबिज होना मानकर बेदखली की कार्यवाही को ड्रोप फरमाया गया तथा उपरोक्त वर्णित फैसलों में खसरा नम्बर 2 की कार्यवाही को मुताबिक रिपोर्ट कब्जा पटवारी के आधार पर खसरा नम्बर 2 को वास्तव में खसरा नम्बर 1/575 होना माना तथा तहसीलदार आमेर ने चौथमल शर्मा का 200 गज 40 फीट, प्रेम चन्द कुमावत का 90 गज 70 फीट व प्रार्थी / अपीलान्ट का 60 गज 120 फीट आबादी का कब्जा माना तथा भूमि जागीरदार से प्राप्त होना माना तथा उक्त कब्जेशुदा भूमि बाबत नियमन की शिफारिश भी गयी तथा उक्त फैसले खं. नं. 1/575 के ही इस बात की अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय ने भयंकर कानूनी गलती की है। इस कारण निर्णय अधीन अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

जाकर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2013 को निरस्त फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बर 9 रबा 89 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के स्थान पर 0.07 हैक्टयर आबादी तथा खसरा नम्बर 10 रकबा 0.32 हैक्टयर गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर 0.25 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन आबादी के मौके अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2013 विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत हरमाड़ा के प्रस्ताव पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, आमेर ने ग्राम हरमाड़ा का खसरा नम्बर 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की आबादी में परिवर्तन किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 09.06.1973 के अनुसार आबादी में परिर्वतन का नोट जमाबन्दी में है, एवं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष यह स्पष्ट नही कर पाये है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 9 व 10 में जो परिवर्तन चाहे जा रहे वे गैर मुमकिन आबादी हेतु पूर्व में परिवर्तित आबादी के खसरा नम्बर 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के स्थान पर बने है, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का नही होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.06.2013 खारिज किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2013 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर